न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 133/2014

उनवान

मला देवी पत्नी सन्तुराम स्वामी नि. ग्राम छापुड़ा कला ढाणी डेरा की,तह. शाहपुरा जयपुर

वादीया

बनाम

लक्ष्मी देवी पत्नी उमराव गुर्जर नि. ढाणी पीरोथावाली ग्राम छापुड़ा कला तह. शाहपुरा।

उपपंजीयक शाहपुरा जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा।

ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक शाखा शाहपुरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

आदेश दिनांक 30-1-2020

दावा वादीगण संक्षेप में निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.37, 11 रकबा 34 कुल किता 2 रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम छापुड़ा कला तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है, जिसकी तेदारी में 1/3 हिस्सा वादीया के नाम तथा 2/3 हिस्सा प्रतिवादीया सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे र्ज है। उक्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 की सामलाती सम्पति है जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीया 1 अपने हिस्से अनुसार सामिल में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का पूर्व में तो कोई बाहमी बंटवारा हुआ है और ना ही कोई विधिक बंटवारा हुआ है, इस कारण उक्त आराजी के त्येक हिस्से पर सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीया सं. 1 लाठी के जोर पर उक्त म्पति आराजी पर कब्जा कर वादीया को बेदखल करना चाहती है तथा विशिष्ठ भू-भाग को लठैत क्तियों को बेचान करने पर अमादा है। प्रतिवादीया सं. 1 वादीया के उक्त विवादित भूमि के अपने हिस्से काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गयी है तथा नाजायज द्वेषता रखती है।

यह है कि 20-21 दिन पूर्व वादीया उक्त विवादित आराजी पर अपने हिस्से की भूमि पर खरीब की सल के लिए सुड़ का कार्य कर रही थी तब प्रतिवादिया सं. 1 अपने पति व दो व्यक्तियों के साथ आयी र खेतों को हाथों के इशारों से उन व्यक्तियों को सीमाए बताने लगी तब वादिया ने प्रतिवादीया सं. 1 से स बाबत पूछा तो प्रतिवादीया सं. 1 उग्र हो गयी तथा गुस्से मे बोली की इस भूमि को मै दीगर व्यक्तियों ो बेचान कर रही हू जो सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर तुझे बेदखल कर देंगे व इस सम्पति आराजी पर खड़े ड़ पौधो को काटकर इसमें व्यवसायिक निर्माण कार्य करेंगे, वादीया ने प्रतिवादिया सं.1 को समझाने का फी प्रयास किया किन्तु जाते जाते उसने एलानिया धमकी दी है जो बात मैने की है उसे जल्दी ही मलीजामा पहनाउगी। इस प्रकार प्रतिवादिया सं.1 के उक्त कृत्यों से वादीया व प्रतिवादीया सं.1 के मध्य ामिल में काश्त करना सम्भव नहीं है, व प्रतिवादीया सं. 1 सह काश्तकार नही रहना चाहती है। इस लिए दीया को उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

ह है कि प्रतिवादीया सं. 1 अपने उक्त अवैध मंसूबो मे सफल हो गयी तो वादिया को अकथनीय हानि गी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सम्भव नहीं है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। सलिए न्यायहित में उक्त विवादित आराजी का बंटवारा वादीया व प्रतिवादिया सं0 1 के मध्य बाई मीटर ण्ड बाउण्ड सरस नरस के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार करवाया जाकर बाद बंटवारा ादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी पैदा नहीं करने बाबत प्रतिवादिया सं. 1 को मेशा हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

ह है कि बिनाय दावा प्रतिवादीया सं.1 द्वारा वादिया के अपने हिस्से की भूमि में दखलान्दाजी पैदा करने े व उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये विशिष्ट भू-भाग का बेचान करने व वादीया को जबरन ताकत के ल पर बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर अन्दर मियाद पेश है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 की र स जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर जाहिर किया गया कि वादिया का उक्त विवादित आराजी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा 2/3 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 1 लगभग 24 वर्ष से काबिज काश्त तथा शेष 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज हो गया था । दिया का विक्रय पत्र कब्जा स्थानान्तरण के अभाव शुरू से ही अवैध है । विवादित आराजी पर 20 वर्षो बिना किसी बाधा के मिन प्रतिवादी का काबिज काश्त रहा है । इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय तक वर्स पजेशन रहने से कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। अतः विवादित राजी 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा वादिया का नाम हजफ फरमाया जावे।

प्रकरण मे दिनांक 7.6.17 को लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार हपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे दिनांक 29.6.2018 को रिकार्ड पर लिया गया । उक्त प्राप्त टवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 की र स जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर जाहिर किया गया कि वादिया का उक्त विवादित आराजी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 1 लगभग 20 वर्ष से काबिज काश्त तथा शेष 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज हो गया था । दिया का विक्रय पत्र कब्जा स्थानान्तरण के अभाव शुरू से ही अवैध है । विवादित आराजी पर 20 वर्षो बिना किसी बाधा के मिन प्रतिवादी का काबिज काश्त रहा है । इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय तक डवर्स पजेशन रहने से कानूनन खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। अतः विवादित राजी 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा वादिया का नाम हजफ फरमाया जावे।

प्रकरण मे दिनांक 7.6.17 को लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार हपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे दिनांक 29.6.2018 को रिकार्ड पर लिया गया । उक्त प्राप्त टवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई ।

प्रकरण में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में कित बिन्दुओ पर ध्यान आकर्षित करते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी में वादी का 2/3 हिस्सा है तथा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किया जावे । प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता परिथ्त नही हुए तथा न हीं प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया । इस प्रकार प्रकरण में थमिक डिक्री किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा बंटवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त ही हुई है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है साथ ही प्रकरण में थमिक डिक्री जारी होने से काण्उण्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

अतःदावा मुताबिक बंटवारा कुर्रेजात रिर्पोट अनसुर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर राजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0.37है0, खा0नं0 11 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 रकबा 0.71 है0भूमि के ग्राम छापुडा कलां तहसील शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर थक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. खसरा नम्बर 10 रकबा 0.37 है0 व ख0नं0 11/1 रकबा ~~0.1067~~ 0.1033 है0 कुल किता 2 रकबा 0.~~767~~ 733 है0 वादिया विमला देवी पत्नि सन्तुराम जाति स्वामी नि0 छापुडा कलां रहिन ओबीसी बैंक शाखा शाहपुरा ।

2 खसरा नम्बर ख0नं0 11/2 रकबा ~~0.2333~~ 0.2367 प्रतिवादिया लक्ष्मी देवी पत्नि उमराव जाति गुर्जर नि0 छापुडा कलां शाहपुरा ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एव दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-1-2020 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय ... अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा ज़िला जयपुर</u>

वाद पत्र संख्या :— **133/2014**

उनवान

ला देवी पत्नी सन्तुराम स्वमी नि. ग्राम छापुड़ा कला ढाणी डेरा की,तह. शाहुपरा जयपुर

वादीया

बनाम

लक्ष्मी देवी पत्नी उमराव गुर्जर नि. ढाणी पीरोथावाली ग्राम छापुड़ा कला तह. शाहुपरा।
उपपंजीयक शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा।
ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक शाखा शाहपुरा।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए</u>

आदेश दिनांक 30-1-2020

अतःदावा मुताबिक बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनसुार निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया कर आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0.37है0, चा0नं0 11 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 रकबा 0.71 भूमि वाके ग्राम छापुडा कलां तहसील शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर थक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. खसरा नम्बर 10 रकबा 0.37 है0 व ख0नं0 11/1 रकबा ~~0.1067~~ 0.1033 है0 कुल किता 2 रकबा 0.~~767~~ 733 है0 वादिया विमला देवी पत्नि सन्तुराम जाति स्वामी नि0 छापुडा कलां रहिन ओबीसी बैंक शाखा ाहपुरा ।

2 खसरा नम्बर ख0नं0 11/2 रकबा ~~0.2333~~ 0.2367 प्रतिवादिया लक्ष्मी देवी पत्नि उमराव जाति गुर्जर 0 छापुडा कलां शाहपुरा ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। दानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह ाजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।।
निर्णय आज दिनांक 30-1-2020 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	